

न्यूज़ टुडे

संसद ने महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 {Epidemic Diseases (Amendment) Bill-2020} पारित किया

○ यह विधेयक महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को प्रतिस्थापित करेगा।

► यह अधिनियम खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रावधानों को शामिल करता है।

○ इस विधेयक के माध्यम से अधिनियम में संशोधन करके महामारी रोगों का सामना कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा-प्रावधानों को समाविष्ट किया जाएगा और इसमें ऐसे रोगों के प्रसार की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार भी किया जाएगा।

○ विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

► यह स्वास्थ्य कर्मियों की प्रभावात्मक प्रदान करता है और यह भी वर्णित करता है कि उनके विरुद्ध हिंसक कार्यों में कौन-कौन से कृत्य शामिल हैं। (बॉक्स देखें)

► इस प्रकार के हिंसक कृत्यों में शामिल होना या ऐसा करने के लिए किसी को उकसाना (दुष्करण) कारावास और अर्थदंड के साथ दण्डिय देगा।

► अपराधी तब तक दोषी माना जाएगा, जब तक कि वह निर्दोष सिद्ध न हो जाए।

► केंद्र सरकार किसी भी स्थलीय बंदरगाह (Land Port), बंदरगाह या एयरोड्रम पर किसी भी बस, ट्रेन, माल वाहन, जलपात, पोत या विमान की आवाजाही के दौरान निरीक्षण को विनियमित करने में सक्षम होगी।

❖ इसके अतिरिक्त, सरकार इन परिवहन के साधनों से यात्रा करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के यात्रा-अवरोध को नियंत्रित कर सकती है।

रूस ने अमेरिकी शर्तों को अस्वीकार कर दिया है और नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि: स्टार्ट (Strategic Arms Reduction Treaty-START) के विस्तार की न्यूनतम संभावना व्यक्त की है

○ न्यू स्टार्ट संधि या नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि वर्ष 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य परमाणु शस्त्रों की संख्या में कटौती करने तथा उनको सीमित करने के लिए लागू की गई अंतिम संधि है।

► न्यू स्टार्ट संधि वर्ष 1991 में तत्कालीन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हस्ताक्षरित मूल सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (START-I) की अनुगामी संधि है।

► यदि इसे पांच वर्षों की अवधि के लिए विस्तारित नहीं किया जाता है, तो यह संधि फरवरी 2021 में समाप्त हो जाएगी।

○ अमेरिका ने न्यू स्टार्ट संधि की अनुगामी संधि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो एक बहुपक्षीय संधि होगी तथा इसमें चीन भी शामिल होगा।

► अमेरिका इस संबंध में चिंतित है कि यदि चीन के बिना यह संधि जारी रखी गई, तो चीन द्वारा अपने परमाणु शस्त्रों के भंडार को दोगुना किया जा सकता है।

► रूस ने इसका विरोध किया और कहा कि इसके माध्यम से "हमारी स्थिति को जानबूझकर विकृत" किया जा रहा है। रूस के अनुसार संघ में चीन की भागीदारी ब्राह्मक है, क्योंकि यह अमेरिका और रूस को 1,550 शस्त्रों तक सीमित करता है, जबकि चीन के पास केवल 290 शस्त्रों के होने का अनुमान है।

► चीन ने इस संधिवार्ता का हिस्सा बनाना अस्वीकार कर दिया है।

○ इससे पूर्व, अमेरिका भी अन्य परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते जैसे कि इंटरमीडिएट-रेंज न्यूकलीयर फोर्सेंस (INF) संधि से भी पीछे हट गया था।

○ न्यू स्टार्ट संधि पर अनिश्चितता के मध्य पर्येक्षकों ने अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण उपायों के महत्व पर बल दिया है।

कोविड-19 के दौरान निर्वाचनों के संचालन के अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर भारत-विश्व निर्वाचन निकाय संघ (Association of World Election Bodies: A-WEB) केंद्र द्वारा एक दस्तावेज़ जारी किया गया

○ विश्व निर्वाचन निकाय संघ (A-WEB) विश्व में चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB) का सबसे बड़ा संघ है। वर्तमान में A-WEB में सदस्य के रूप में 115 चुनाव प्रबंधन निकाय तथा सहयोगी सदस्य के रूप में 16 क्षेत्रीय संघ/संगठन शामिल हैं।

► विगत वर्ष भारत ने वर्ष 2019–2021 की अवधि के लिए A-WEB के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था।

❖ मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा को विश्व निर्वाचन निकाय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

○ नई दिल्ली में एक भारत-विश्व निर्वाचन निकाय संघ का केंद्र (India A-WEB Centre) स्थापित किया गया है, जिसमें A-WEB सदस्यों के अधिकारियों के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उनके क्षमता निर्माण के लिए प्रलेखन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

○ कोविड-19 के दौरान सामना किए गए मुद्दे:

► देशों को पूर्व-निर्धारित चुनाव कराने या स्थगित करने की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

► लोगों के मध्य शारीरिक संपर्कों को कम करने के लिए राजनीतिक प्रवार अभियान में परिवर्तन किया गया है।

► सतारूढ़ दल को लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए उसके द्वारा अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग किए जाने की अधिक संभावना है।

○ भारत में उठाए गए कदम:

► भारत निर्वाचन आयोग ने प्रचार व्यय सीमा में 10% वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

► मतदाताओं के मध्य संदिधि/पुष्टि किए गए कोविड-19 मामलों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की गई है।

► मतदान केंद्र में 1500 की बजाय अधिकतम 1000 निर्वाचक होंगे।

► राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा घर-घर तक अभियान और रोड शो के लिए विशेष दिशा-निर्देश घोषित किए गए हैं।

○ स्वास्थ्य कर्मियों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान महामारी के संपर्क में आने का जोखिम होता है। उनमें शामिल हैं:

► सर्वजनिक और नैदानिक स्वास्थ्य प्रदाता जैसे—डॉक्टर एवं नर्स।

► ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत रोग के प्रकोप की रोकथाम के लिए सशक्त बनाया गया है।

► राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए नामित अन्य व्यक्ति।

○ हिंसक कृत्यों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों के विरुद्ध किए गए निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

► जीवन या कामकाजी स्थितियों को प्रभावित करने वाला उत्तीर्ण।

► जीवन को नुकसान, चोट, क्षति या खतरा पहुंचाना।

► कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करना।

► स्वास्थ्य सेवा कर्मी की संपत्ति या दस्तावेज़ों को नुकसान या क्षति पहुंचाना।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority-IFSCA) की एक समिति द्वारा रिपोर्ट जारी की गई

○ IFSCA समिति की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यवसाय को विकसित करने के उपायों के साथ-साथ IFSC को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए आकर्षक बनाने हेतु समावित रणनीतियों का सुझाव दिया गया है।

► IFSC, सीमाओं के पार वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह का समाधान करते हुए घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों की मांग को पूरा करता है। यह निविस्तरण, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

❖ सेज़ (विशेष आर्थिक क्षेत्र: SEZ) अधिनियम 2005 एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित करने की अनुमति देता है।

○ इसका उद्देश्य गिफ्ट सिटी (Gujarat International Finance Tec-City) में स्थित IFSC के लिए भारत के अपतटीय व्यवसाय को चैनलब्रेक करना और इसे भारत-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना है।

○ रिपोर्ट के अनुसार:

► भारतीय प्रवासियों और एशिया एवं अफ्रीका के व्यक्तियों को IFSC से वित्तीय सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी उपलब्ध कराना।

► उदारीकृत प्रैषण योजना का लाभ उठाने वाले घरेलू निवासियों की सेवा प्रदान करना।

► प्रतिष्ठा, विनियामक परिवेश, कराधान और परिवालन संबंधी सुगमता जैसे प्रमुख कारकों के संदर्भ में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण करना।

○ रिपोर्ट के अनुसार IFSC खुदरा व्यवसाय नौकरियों के सृजन को बढ़ावा दे सकता है, भारत के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर सकता है और दुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन (विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों से) को आकर्षित कर सकता है।

लोक सभा ने "अर्हक वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020" (Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020) पारित किया

○ विधेयक अर्हक वित्तीय संविदाओं (QFC) की द्विपक्षीय नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान करता है। इससे किसी भी द्विपक्षीय नेटिंग समझौते को पात्र वित्तीय समझौते का दर्जा प्राप्त हो जाएगा।

► QFC, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) तथा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) आदि द्वारा QFC के रूप में अधिसूचित द्विपक्षीय संविदा है।

► ये प्राधिकरण उनके अधिकार क्षेत्र में कार्यस्थल पैशन फर्मों या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी संस्थाओं को QFC में सौदेबाजी के लिए अर्हक वित्तीय बाजार भागीदारों के रूप में नामित कर सकते हैं।

○ अब तक, भारतीय वित्तीय संविदा कानूनों ने द्विपक्षीय नेटिंग को अनुमति प्रदान नहीं की है, बल्कि बहुपक्षीय नेटिंग (जहाँ पक्षकार एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (counterparty) के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध दावों का समाधान कर सकते हैं) की अनुमति दी गई है।

► बैंक समिति जैसी वैश्विक विनियामक संस्थाओं ने इस प्रकार की नेटिंग के उपयोग का समर्थन किया है।

○ भारत में द्विपक्षीय नेटिंग से निम्नलिखित में सहायता प्राप्त होगी:

► बैंकों के लिए ऋण जोखिम और विनियामक पूँजी भार को कम करने तथा अन्य उत्पादक अनुप्रयोगों के लिए पूँजी को मुक्त करने में।

► बैंकों, प्राथमिक डीलरों और अन्य बाजार-निर्माताओं के लिए प्रतिरक्षा (हेजिंग) लागत तथा तरलता संबंधी आवश्यकताओं को कम करने में, जिससे जोखिम के विरुद्ध बचाव के लिए ऑवर-द-कार्डर (OTC) डेरिवेटिव बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

❖ ओटीसी डेरिवेटिव वे प्रतिशूलियां हैं, जिनका सामान्य रूप से एक केंद्रीकृत विनियम बाजार (Exchange) की बजाय एक डीलर नेटवर्क के माध्यम से कारोबार किया जाता है।

► प्रतिपक्षकार (counterparty) द्वारा चूक (डिफॉल्ट) के मामलों में वित्तीय अनुबंधों के लिए एक कुशल पुनर्प्राप्ति तंत्र स्थापित करने में।

अन्य सुर्खियाँ

| | |
|--|---|
| <p>संसद ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया {Parliament passed the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020}</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ यह विधेयक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 में संशोधन करता है, जो कंपनियों के और व्यक्तियों के मध्य भी दिवाला मामलों को सुलझाने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है। ○ इसका उद्देश्य कोविड-19 स्थिति के कारण किसी भी कंपनी को दिवालिया होने से रोकना है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि इस वर्ष 25 मार्च से छह माह के दौरान उत्पन्न होने वाली चूक के लिए कंपनी या उसके लेनदारों द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया कभी भी शुरू नहीं की जा सकती है। ➢ इसके अंतर्गत छह माह के अतिरिक्त विस्तार के लिए भी एक प्रावधान शामिल किया गया है। |
| <p>बिहार में ऑप्टिकल फाइबर ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना (घर तक फाइबर योजना) शुरू की गई {Optical Fibre Village Connectivity Project (Ghar tak fiber scheme) Launched in Bihar}</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ यह परियोजना दूरसंचार विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक विशेष प्रयोजन वाहन, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ○ इसका उद्देश्य एरियल ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से बिहार के प्रत्येक गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। प्रत्येक गाँव में न्यूनतम 5 फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन और 1 सार्वजनिक WI-FI स्थापित किया जाएगा। ○ परियोजना का उद्देश्य गांवों को डिजिटल गांवों में परिवर्तित करना, डिजिटल सशक्तीकरण / जागरूकता को बढ़ाना, डिजिटल डिवाइस (विभेद) को समाप्त करना तथा सभी को डिजिटल रूप से सुविधाओं को आपूर्ति करना है। |
| <p>भारत—मालदीव के मध्य प्रथम प्रत्यक्ष कार्गो फेरी (पोत) सेवा आरम्भ की गई {First direct cargo ferry service between India, Maldives flagged off}</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ इससे भारत और मालदीव के मध्य कार्गो की आवाजाही के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी और इस प्रकार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। <ul style="list-style-type: none"> ➢ भौगोलिक निकटता के बावजूद भी भारत मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ○ यह भारत से मालदीव के लिए माल परिवहन हेतु परिवहन लागत को कम करेगा तथा साथ ही समयबद्ध, त्वरित और लागत प्रमाणी साधन उपलब्ध कराएगा। ○ इस सेवा का संचालन महीने में दो बार किया जाएगा और इसे भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा संचालित किया जाएगा। |
| <p>कोविड-वैक्सीन के लिए दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया गया (Draft guidelines for COVID vaccine)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ दिशा-निर्देश, DGCI (इंग कंट्रोलर जनरल ॲफ इंडिया) द्वारा जारी किए गए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। ○ शर्तें: <ul style="list-style-type: none"> ➢ इस वैक्सीन के टीकाकरण द्वारा कम से कम 50% लोगों में रोग की रोकथाम या उसकी गंभीरता को कम किया जाना चाहिए। ➢ एंटीबॉडी व टी-कोशिकाओं की प्रतिक्रिया दर्शने की आवश्यकता है तथा साथ ही, एक वर्ष के लिए कोई पुनः संक्रमण नहीं होना चाहिए। ➢ विदेशों में विकसित टीके उन देशों में नैदानिक परीक्षणों के आधार पर अनुमति की मांग कर सकते हैं, परन्तु उन्हें भारतीय आबादी पर अतिरिक्त परीक्षण करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। |
| <p>रॉकेट प्रक्षेपण पोर्ट (Rocket Launching Port)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ केंद्र सरकार तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलसेकरपट्टिनम में एक दूसरे अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण पोर्ट की योजना निर्मित कर रही है। ○ इसे घरेलू और वैश्विक ग्राहकों के लिए इससे द्वारा किए जा रहे प्रक्षेपणों की संख्या में वृद्धि के कारण स्थापित किया जा रहा है। ○ वर्तमान में रॉकेटों का प्रक्षेपण चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से किया जाता है। |

8468022022, 9019066066

www.visionias.in



दिल्ली



लखनऊ



जयपुर



हैदराबाद



पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़